न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 36/2021

कंवरपाल पुत्र जयपालसिंह, जाति जाट, निवासी कुहाड़वास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

– अपीलान्ट–

–बनाम–

सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना, जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट–

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम कंवरपाल अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 129/2020 निर्णय दिनांक 22.02.2021

उपस्थिति :–

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता ————————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय – दिनांक 12.01.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.02.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम कंवरपाल मुकदमा नम्बर 129/2020 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है – कि पटवार हल्का कुहाड़वास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 2.65 हैक्टर किस्म बजंड़–1 में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलान्ट के खिलाफ [illegible] के आलौच्य आदेश दिनांक 22.02. 2021 को पारित किये गये है। विवादित भूमि की [illegible] बजड़–1 है। राजस्थान सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.01.2000 में यह निर्देश दिये गये है कि जो व्यक्ति राजकीय बंजड़ जमीन पर 01 जनवरी 2000 से पूर्व से रिहायशी मकान बनाकर आबाद है उसको राजकीय जमीन से बेदखल नही किया जायेगा बल्कि एक रूपया प्रति वर्गगज प्रिमियम लिया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावेगी। विवादित खसरे पर जिस जगह अपीलान्ट का रिहायशी मकान है उस भूमि का ग्राम पंचायत कुहाड़वास का अपीलान्ट के जयपाल के नाम पट्टा जारी किया हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है तथा अपीलान्ट के पास अपने पिता के नाम ग्राम पंचायत कुहाड़वास द्वारा जारी पट्टा है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट के अलावा भी बहुत से ग्रामिण पक्के मकान बनाकर रिहायश करते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि पटवार हल्का कुहाड़वास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 2.65 हैक्टर किस्म बजंड़–1 में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली के आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2021 को पारित किये गये है। विवादित भूमि की किस्म बजड़–1 है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.01.2000 में यह निर्देश दिये गये है कि जो व्यक्ति राजकीय बंजड़ जमीन पर 01 जनवरी 2000 से पूर्व से रिहायशी मकान बनाकर आबाद है उसको राजकीय जमीन से बेदखल नही किया जायेगा बल्कि एक रूपया प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:22 IST
Reason: SelfAttested
अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

वर्गगज प्रिमियम लिया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावेगी। विवादित खसरे पर जिस जगह अपीलान्ट का रिहायशी मकान है उस भूमि का ग्राम पंचायत कुहाड़वास का अपीलान्ट के जयपाल के नाम पट्टा जारी किया हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है तथा अपीलान्ट के पास अपने पिता के नाम ग्राम पंचायत कुहाड़वास द्वारा जारी पट्टा है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट के अलावा भी बहुत से ग्रामिण पक्के मकान बनाकर रिहायश करते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाक़र अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 2.65 हैक्टर किस्म बंजड़–1 भूमि में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपने पिता के नाम पर ग्राम पंचायत कुहाड़वास द्वारा जारी पट्टे की प्रति पेश की है। लेकिन उक्त पट्टे में कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। जिससे पट्टा विवादित भूमि के लिए ही दिया गया है इस बारे में कोई जानकारी नही मिलती है। इसके अलावा अपीलान्ट ने अदालत मातहत और न्यायालय के हाजा के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी/साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 उनवानी सरकार बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:22 IST
Reason: SelfAttested
अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

कंवरपाल मुकदमा नम्बर 129/2020 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:22 IST
Reason: SelfAttested